फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्री उंकारलाल बनाम विपक्षी : श्री गंगादेवी व अन्य

रम मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 18 / 25

क्रमांक | कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिसमें बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है तथा प्रार्थी एवं विपक्षीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि का मिट्रा एण्ड बाउन्डरा से विभाजन नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से में उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा कर रहें है तथा दखलअंदाजी कर रहें जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकरान के पक्ष में निर्णित किये जाने से सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जातें हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जानें से प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है जिससे किसी प्रकार के मौके एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सकें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1836 की आराजी नम्बर 3971, 3972, 3973 किता [illegible] 3900 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested